निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 103/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

सैयद मोईनुद्दीन पुत्र सैयद फकरूद्दीन जाति मुसलमान, निवासी दरगाह मौलाना जियाउद्दीन साहिब, चार दरवाजा बाहर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर,
2. श्री रामकुमार कस्वां, आर.ए.एस. अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर।
3. निसार अहमद पुत्र फैयाज अहमद,
4. हाजी हफीज फारूक अली पुत्र हाफिज रहमान अली,
5. सूफी मोहम्मद हनीफ पुत्र मोहम्मद खां,
6. मोहम्मद अमीन पुत्र सूफी मोहम्मद हनीफ,
7. अब्दुल रसीद उर्फ चांद,

समस्त निवासियान मदरसा मौलाना जियाउद्दीन, चौकड़ी रामचन्द्रजी, जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 04/2024 (पुराना 03/2013) ब उनवानी ताजुउद्दीन बनाम मुस्लिम वक्फ बोर्ड व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः---

1. श्री संजीव शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री प्रदीप कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी अब्दुल रहमान की ओर से।

निर्णय दिनांक 06.08.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, तृतीय जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 04/2024 (पुराना 03/2013) ब उनवानी ताजुउद्दीन बनाम मुस्लिम वक्फ बोर्ड व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी 22.08.2024 नियत की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर तृतीय, जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र एवं संशोधित उनवान पेश किया गया। अप्रार्थी अब्दुल रहमान की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत सिविल अपील संख्या 3643/2008 (Arising out of SLP No. 20565/06 सिविल अपील संख्या 3646/2008) के उक्त निर्णय में अभिनिर्धारित किया कि विवादित खसरान संख्या 497 से 503 की 8 बीघा 2 बिस्वा का मुतव्वली अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 है एवं उनका कब्जा एवं नियंत्रण भी प्रमाणित किया है और उक्त निर्णय में ताजुद्दीन की वसीयत आधार पर वादीगण को कोई किसी प्रकार का अनुतोष देने से साफ इंकार किया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर तृतीय, जयपुर ने प्रतिवादीगण का आदेश 22 नियम 10ए सीपीसी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए उस पर आदेशित दिनांक 15.07.2024 फरमाया, जो पूर्णतया न्यायिक नियमों व दृष्टांतों की अवहेलना है, जबकि वादीगण को उक्त विवादित संपत्ति में किसी प्रकार का हक व हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय येन केन प्रकारेण वादीगण को न्यायिक नियमों के विरूद्ध अनुतोष देने पर आमादा है, जिससे प्रतिवादीगण का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त हक व अधिकार प्रभावित होंगे एवं प्रतिवादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा अपने हक समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात, जिसमें महत्त्वपूर्ण वसीयत दिनांक 04.09.2023 पूर्व दिवंगत मुतव्वली सैयद जैनुअल आबेदीन उर्फ महमूद मिया कृत की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखी करते हुए रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तोसीहनामा दिनांक 02.04.2024 दस्तारबंदी संबंधी छायाचित्र, समाचार पत्र की प्रति, वक्फ बोर्ड को प्रेषित सूचना की अनदेखी कर वादीगण को एक तरफा लाभ पहुंचाने हेतु प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मिन प्रतिवादी संख्या 3 को प्रकरण के न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ से स्थान्तरण की सूचना नहीं दी गई, जिससे प्रमाणित होता है कि मिन प्रतिवादी संख्या 3 को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। वर्तमान में वक्फ बोर्ड भंग होने के कारण भी प्रतिवादीगण को प्रभावी ढंग से समुचित पक्ष रखने का समय नहीं मिल पा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय एकतरफा वादी गण को लाभ पहुंचाने की कार्यवाही करने पर आमादा है। मिन प्रतिवादीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष सिविल रिट पिटिशन संख्या 7539/2024 वक्फ बोर्ड के आदेश दिनांक 02.04.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत कर रखी है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिट पिटीशन को अनदेखा कर फास्ट ट्रेक सुनवाई कर वादी को लाभ पंहुचाने की नियत से कार्यवाही अग्रसर की जा रही है, जिससे प्रतिवादीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय मिल पाने की आस और विश्वास समाप्त हो गया है। अतः उक्त प्रकरण को सुनवाई हेतु अन्यत्र सक्षम न्यायालय मे अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

5. दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं को मिथ्या तरीके से प्रतिवादी संख्या 3 अंकित किया गया है। हस्तगत प्रकरण संख्या 04/2024(03/2013) ब उनवानी ताजुद्दीन बनाम मुस्लिम वक्फ बोर्ड व अन्य में प्रार्थी सैयद मोईनुद्दीन पक्षकार नहीं है। न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ, जयपुर के आदेश दिनांक 28.05.2013 से प्रार्थी का नाम अन्य अप्रार्थियों के साथ हजफ फरमा दिया गया है, जिसको वर्तमान प्रार्थी ने किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी है और ना ही किसी न्यायालय द्वारा उक्त आदेश खारिज ही किया गया है और यह आदेश अंतिम होकर पक्षकारों पर बाध्यकारी है इस कारण प्रार्थी को यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय की अपील का

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

हवाला देकर बार–बार न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है उसकी आड़ में न्यायालय से येनकेन प्रकारेण गलत फैसला कराने की चेष्टा की जा रही है, जो मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ की श्रेणी में आता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य मनगंढंत, असत्य, आधारहीन व अस्वीकार है। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण मे पक्षकार भी नहीं है क्योंकि उसका नाम हजफ हो चुका है, उसने अधीनस्थ न्यायालय पर झूठे आरोप लगाकर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है। अधीनस्थ न्यायालय में अंतिम बहस सुनी जा चुकी है, न्याय में देरी करने हेतु प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाएं।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमित सुनवाई में की जा रही है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कोई बल नहीं पाते है। दौराने सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुंतकिल किया जाए। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए है और ना ही प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण को स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

5. निर्णय की प्रति उभय पक्ष हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर